भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1831
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थी

1831. डॉ. लता वानखेड़े:
श्रीमती शांभवी:
श्री राजेश वर्मा:
डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के तहत लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) एनएसएपी पेंशन के भुगतान नहीं होने या देरी से संबंधित आधिकारिक पोर्टलों या हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की गई और हल की गई शिकायतों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों , विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनएसएपी के तहत आधार लिंकिंग , बैंक खाता सीडिंग और शिकायत निवारण तंत्र के विस्तार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार समग्र सहायता के लिए एनएसएपी लाभार्थियों को पीएमजेएवाई , पीएम उज्ज्वला योजना या पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों को लाभांवित करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या पर योजना-वार अधिकतम सीमा निर्धारित है। लाभार्थियों की संख्या की योजना-वार और राज्य-वार सीमा **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार , एनएसएपी योजनाओं के कार्यान्वयन , लाभार्थियों की पहचान/सत्यापन, लाभार्थियों को पेंशन का वितरण , पेंशन रोकना और लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक कुल 2249 शिकायतें (पिछले वित्तीय वर्ष से अग्रेषित 111 शिकायतों सहित) प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 31.01.2026 तक 2178 का निपटान कर दिया गया है।

(ग) और (घ): एनएसएपी के तहत , गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले और एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले वृद्धों , विधवाओं और दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति माह तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और जीविकोपार्जक व्यक्ति की मृत्यु के मामले में , शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। निधि जारी करने के लिए पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों को संवितरित की जाती है।

पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड में पेंशन वितरण के लिए एक वेब-आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल- एनएसएपी-पीपीएस (पेंशन भुगतान प्रणाली) को एंड-टू-एंड डिजिटल टूल के रूप में क्रियान्वित किया गया है। एनएसएपी के तहत 90% से अधिक पेंशन वितरण डीबीटी मोड के माध्यम से होता है। वर्तमान में , लगभग 91% लाभार्थियों के आधार नंबर एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल में दर्ज किए गए हैं।

एनएसएपी के तहत, पेंशन से संबंधित शिकायतों का समाधान सीपीग्राम्स पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और संबंधित अधिकारियों द्वारा समयबद्ध समाधान के साथ किया जाता है ताकि समय पर निवारण सुनिश्चित किया जा सके।

(ड.) एनएसएपी दिशानिर्देशों में एनएसएपी के साथ विभिन्न गरीबी दूर करने वाले कार्यक्रमों के अभिसरण का उल्लेख है ताकि पेंशन सहायता के अलावा , पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य , खाद्य सुरक्षा और अन्य सामाजिक सहायता उपायों तक पहुंच प्राप्त हो सके।

*****

अनुबंध

एनएसएपी के अंतर्गत लाभार्थी के संबंध में दिनांक 10.02.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1831 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों की संख्या की सीमा:2020-21						
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आईजीएनओएपीएस**	**आईजीएनडब्ल्यूपीएस**	**आईजीएनडीपीएस**	**एनएफबीएस**	**अन्नपूर्णा**
1	आंध्र प्रदेश	662641	245607	24413	10906	54354
2	बिहार	2996472	634695	126156	35859	166600
3	छत्तीसगढ़	644429	260625	32085	12801	24196
4	गोवा	13059	8160	468	225	420
5	गुजरात	580706	218395	33537	10695	35377
6	हरियाणा	258583	57149	11537	4154	-
7	हिमाचल प्रदेश	98368	17979	3125	684	2644
8	झारखंड	993567	272108	31286	14148	54939
9	कर्नाटक	966595	465363	43639	18312	-
10	केरल	449158	209236	29935	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1569627	536412	99924	30826	-
12	महाराष्ट्र	1350000	100000	50000	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	528570	90754	24697	64800

14	पंजाब	201039	42187	6473	2673	-
15	राजस्थान	799636	278712	56854	12347	47500
16	तमिलनाडु	1237809	549084	79316	18445	66388
17	तेलंगाना	473575	175530	17448	7794	38846
18	उत्तर प्रदेश	4345014	991784	182823	73075	-
19	उत्तराखंड	239498	95313	14386	4808	-
20	पश्चिम बंगाल	1423192	644590	86750	21553	65068
21	अरुणाचल प्रदेश	29290	3565	1284	346	1840
22	असम	707927	137463	18916	8524	25308
23	मणिपुर	56045	8043	1007	669	3320
24	मेघालय	77980	8498	969	781	3580
25	मिजोरम	25251	1925	400	197	1000
26	नागालैंड	44530	3720	960	535	2600
27	सिक्किम	16418	1614	817	175	960
28	त्रिपुरा	141510	17927	2144	984	5740
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5924	1504	301	86	560
30	चंडीगढ़	5111	942	204	80	440
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन	8898	1858	254	119	358

	और दीव					
32	एनसीटी दिल्ली	119403	36361	6321	2270	8040
33	जम्मू और कश्मीर	132837	7891	2426	323	10220
34	लद्दाख	6488	443	363	112	
35	लक्षद्वीप	569	285	51	9	60
36	पुदुचेरी	17713	9785	1259	283	1580
कुल योग		**22117493**	**6573323**	**1058585**	**358840**	**831642**

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों की संख्या की सीमा:2021-22						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	आंध्र प्रदेश	662641	245607	24413	10906	54354
2	बिहार	2996472	634695	126156	35859	166600
3	छत्तीसगढ़	644429	260625	32085	12801	24196
4	गोवा	13059	8160	468	225	420
5	गुजरात	580706	231632	20300	10695	35377
6	हरियाणा	258583	57149	11537	4154	-
7	हिमाचल प्रदेश	96645	21974	853	684	2644
8	झारखंड	1000623	269583	26755	14148	54939
9	कर्नाटक	966595	464177	44825	18312	-
10	केरल	449158	209236	29935	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1569627	536412	99924	30826	-
12	महाराष्ट्र	1350000	100000	50000	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	528570	90754	24697	64800
14	पंजाब	201039	42187	6473	2673	-
15	राजस्थान	799636	305053	30513	12347	47500
16	तमिलनाडु	1237809	565139	63261	18445	66388
17	तेलंगाना	473575	175530	17448	7794	38846

18	उत्तर प्रदेश	4419105	1025236	75280	73075	-
19	उत्तराखंड	239498	95313	14386	4808	-
20	पश्चिम बंगाल	1359804	733189	86750	21553	65068
21	अरुणाचल प्रदेश	29290	3565	1284	346	1840
22	असम	707927	121181	35198	8524	25308
23	मणिपुर	56045	8043	1007	669	3320
24	मेघालय	77464	8425	1558	781	3580
25	मिजोरम	24524	2310	742	197	1000
26	नागालैंड	44530	3720	960	535	2600
27	सिक्किम	16923	1469	457	175	960
28	त्रिपुरा	141510	17927	2144	984	5740
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5924	1504	301	86	560
30	चंडीगढ़	3671	2486	100	80	440
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8898	1858	254	119	358
32	एनसीटी दिल्ली	119403	36361	6321	2270	8040
33	जम्मू एवं	133013	7651	2490	323	10220

	कश्मीर					
34	लद्दाख	6488	443	363	112	-
35	लक्षद्वीप	569	101	51	9	60
36	पुदुचेरी	17713	9785	1259	283	1580
कुल योग		**22131527**	**6736296**	**906605**	**358840**	**831642**

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों की संख्या की सीमा:2022-23						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412	10906	54354
2	बिहार	3157256	635091	127100	35859	166600
3	छत्तीसगढ	644429	203628	32085	12801	24196
4	गोवा	7308	5886	225	225	420
5	गुजरात	620548	276078	20327	10695	35377
6	हरियाणा	259865	70808	16583	4154	-
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853	684	2644
8	झारखंड	985094	266077	26349	14148	54939
9	कर्नाटक	899422	452027	44825	18312	-
10	केरल	458813	320715	66928	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470	30826	-
12	महाराष्ट्र	1122920	80725	9322	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	525045	90283	24697	64800
14	पंजाब	112955	19294	5982	2673	-
15	राजस्थान	823972	315048	30513	12347	47500
16	तमिलनाडु	1282504	574258	64096	18445	66388

17	तेलंगाना	480315	180720	20578	7794	38846
18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773	73075	-
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880	4808	-
20	पश्चिम बंगाल	1281159	726172	59941	21553	65068
21	अरुणाचल प्रदेश	5894	288	346	346	1840
22	असम	695997	119955	34579	8524	25308
23	मणिपुर	55891	7075	1005	669	3320
24	मेघालय	55734	8024	1558	781	3580
25	मिजोरम	24524	2278	722	197	1000
26	नागालैंड	45941	3827	1011	535	2600
27	सिक्किम	16928	1469	457	175	960
28	त्रिपुरा	135232	17537	2131	984	5740
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	585	3	2	86	560
30	चंडीगढ़	2378	2486	100	80	440
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8754	2109	310	119	358
32	एनसीटी दिल्ली	113824	36361	4635	2270	8040

33	जम्मू एवं कश्मीर	130298	7631	2465	323	10220
34	लद्दाख	6486	443	219	112	-
35	लक्षद्वीप	155	87	51	9	60
36	पुदुचेरी	17713	9821	1271	283	1580
कुल योग		**22130688**	**6735826**	**881387**	**358840**	**831642**

• कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कुछ योजनाओं में अधिकतम सीमा का इस्तेमाल न किए जाने के कारण, सितंबर 2022 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार अधिकतम सीमा को संशोधित किया गया।

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों की संख्या की सीमा:2023-24						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412	10906	54354
2	बिहार	3157256	635091	127100	35859	166600
3	छत्तीसगढ	644429	203628	32085	12801	24196
4	गोवा	7308	5886	466	225	420
5	गुजरात	620548	276078	20327	10695	35377
6	हरियाणा	259865	70808	16583	4154	-
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853	684	2644
8	झारखंड	985094	266077	26349	14148	54939
9	कर्नाटक	899422	452027	44825	18312	-
10	केरल	458813	320715	66928	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470	30826	-
12	महाराष्ट्र	1122920	80725	9322	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	525045	90283	24697	64800
14	पंजाब	112955	19294	5982	2673	-
15	राजस्थान	823972	315048	30513	12347	47500
16	तमिलनाडु	1282504	574258	64096	18445	66388
17	तेलंगाना	480315	180720	20578	7794	38846

18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773	73075	-
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880	4808	-
20	पश्चिम बंगाल	1281159	726172	59941	21553	65068
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112	346	1840
22	असम	695997	119955	34579	8524	25308
23	मणिपुर	55891	7075	1005	669	3320
24	मेघालय	55734	8024	1558	781	3580
25	मिजोरम	24524	2278	722	197	1000
26	नागालैंड	45941	3827	1011	535	2600
27	सिक्किम	16928	1469	457	175	960
28	त्रिपुरा	135232	17537	2131	984	5740
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	585	3	2	86	560
30	चंडीगढ़	2378	2486	100	80	440
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8754	2109	310	119	358
32	एनसीटी दिल्ली	113824	36361	4635	2270	8040
33	जम्मू और	130298	7631	2465	323	10220

	कश्मीर					
34	लद्दाख	6486	443	219	112	-
35	लक्षद्वीप	155	87	51	9	60
36	पुदुचेरी	17713	9821	1271	283	1580
कुल योग		**22130687**	**6735826**	**881394**	**358840**	**831642**

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार लाभार्थियों की संख्या की सीमा:2024-25						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईजीएनओएपीएस	आईजीएनडब्ल्यूपीएस	आईजीएनडीपीएस	एनएफबीएस	अन्नपूर्णा
1	आंध्र प्रदेश	663736	246832	24412	10906	54354
2	बिहार	3157256	635091	127100	35859	166600
3	छत्तीसगढ़	644429	203628	32085	12801	24196
4	गोवा	7308	5886	466	225	420
5	गुजरात	620548	276078	20327	10695	35377
6	हरियाणा	259865	70808	16583	4154	-
7	हिमाचल प्रदेश	93178	21974	853	684	2644
8	झारखंड	985094	266077	26349	14148	54939
9	कर्नाटक	899422	452027	44825	18312	-
10	केरल	458813	368358	19285	4358	36904
11	मध्य प्रदेश	1575079	546920	101470	30826	-

12	महाराष्ट्र	1122920	80725	9322	34987	108000
13	ओडिशा	1418631	525045	90283	24697	64800
14	पंजाब	112955	19294	5982	2673	-
15	राजस्थान	823972	315048	30513	12347	47500
16	तमिलनाडु	1282504	574258	64096	18445	66388
17	तेलंगाना	480315	180720	20578	7794	38846
18	उत्तर प्रदेश	4722613	1025236	85773	73075	-
19	उत्तराखंड	204557	23898	2880	4808	-
20	पश्चिम बंगाल	1281159	726172	59941	21553	65068
21	अरुणाचल प्रदेश	5893	288	112	346	1840
22	असम	695997	119955	34579	8524	25308
23	मणिपुर	55891	7075	1005	669	3320
24	मेघालय	55734	8024	1558	781	3580
25	मिजोरम	24524	2278	722	197	1000
26	नागालैंड	45941	3827	1011	535	2600
27	सिक्किम	16928	1469	457	175	960
28	त्रिपुरा	135232	17537	2131	984	5740
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	585	3	2	86	560
30	चंडीगढ़	2378	2486	100	80	440

31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8754	2109	310	119	358
32	एनसीटी दिल्ली	113824	36361	4635	2270	8040
33	जम्मू और कश्मीर	130298	7631	2465	323	10220
34	लद्दाख	6486	443	219	112	7260
35	लक्षद्वीप	155	87	51	9	60
36	पुदुचेरी	17713	9821	1271	283	1580
कुल योग		**22130687**	**6783469**	**833751**	**358840**	**831642**

आईजीएनओएपीएस- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

आईजीएनडब्ल्यूपीएस- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

आईजीएनडीपीएस- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना

एनएफबीएस- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना